न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 122 / 2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022 / 240

दायर दिनांक :- 12.08.2022 निर्णय दिनांक :- 10.05.2025

1. पेम्पा पत्नी हीराराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. हनुमानराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. हरलाल पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. पुष्पादेवी पत्नी नारायणराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तह. घंटियाली जिला फलोदी
5. पूजा पुत्री नारायणराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. पवन पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

वादीगण संख्या 5 ता 6 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता पुष्पा पत्नी नारायणराम

–वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र भारमल जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. सुखराम पुत्र भारमल जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. प्रेमीदेवी पत्नी सुखराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. वादीगण
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम कोडियानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 124 रकबा 13.1280 हैक्टेयर तथा ग्राम केलनसर के खसरा नम्बर 434 रकबा 14.4473 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

10/5/25

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की और से अधिवक्ता ओमप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा पेश कर प्राथमिक डिकी जारी किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम कोडियानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 124 रकबा 13.1280 हैक्टेयर तथा ग्राम केलनसर के खसरा नम्बर 434 रकबा 14.4473 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार घंटियाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिकी अनुसार तैयार कर तहसीलदार, घंटियाली द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार घंटियाली द्वारा राजस्व ग्राम कोडियानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 124 रकबा 13.1280 हैक्टेयर तथा ग्राम केलनसर के खसरा नम्बर 434 रकबा 14.4473 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	हनुमानराम हि. 1/4, हरलाल हि 1/4 पि. हीराराम, पुजा पुत्री नारायणराम 1/12, पवन पुत्र नारायणराम 1/12 पुष्पादेवी पत्नी नारायणराम 1/12, पेम्पा पत्नी हीराराम 1/4 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	कोडियानाडा केलनसर	124 434	6.5640 हैक्टेयर 7.2236 हैक्टेयर	बी–4 बी–4
2	बीरबल पुत्र भारमल 1/4, सुखराम पुत्र भारमल 1/4 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा फलोदी सुखराम का हिस्स	कोडियानाडा	124	6.5640 हैक्टेयर	बी–4

10/5/18

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. पेम्पा पत्नी हीराराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. हनुमानराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. हरलाल पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. पुष्पादेवी पत्नी नारायणराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तह. घंटियाली जिला फलोदी
5. पूजा पुत्री नारायणराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. पवन पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

वादीगण संख्या 5 ता 6 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता पुष्पा पत्नी नारायणराम

–वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र भारमल जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. सुखराम पुत्र भारमल जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. प्रेमीदेवी पत्नी सुखराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 122/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम कोडियानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 124 रकबा 13.1280 हैक्टेयर तथा ग्राम केलनसर के खसरा नम्बर 434 रकबा 14.4473 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	हनुमानराम हि. 1/4, हरलाल हि 1/4 पि. हीराराम, पुजा पुत्री नारायणराम 1/12, पवन पुत्र नारायणराम 1/12 पुष्पादेवी पत्नी नारायणराम 1/12, पेम्पा पत्नी हीराराम 1/4 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	कोडियानाडा केलनसर	124 434	6.5640 हैक्टेयर 7.2236 हैक्टेयर	बी–4 बी–4
2	बीरबल पुत्र भारमल 1/4, सुखराम पुत्र भारमल 1/4 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा फलोदी सुखराम का हिस्स	कोडियानाडा	124	6.5640 हैक्टेयर	बी–4

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

... पत्नी सुखराम 1/4 बीरबल पुत्र ... 1/4 जाति विश्नोई सा. देह	केलनसर	434	7.4437 हैक्टेयर	बी-1

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का रिकोर्ड मे अमल दरामद कर वादीगण एव प्रतिवादी स. 1 ता 3 के खाते राजस्व रिकोर्ड मे अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

बाबत् खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शरह फीस सदी सालाना आज

वसूल याबी तक को अदा करे।

इसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.06.2025 को जारी की गई।

(... पिन्डेल ...)
सहायक कलक्टर
... (फलौदी)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा सवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के कार्य पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं अह हुक
10.05.2025	अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला (ग्रामीण) एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय फलोदी के आदेश से पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई। वकील उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। 10/5/25 सदस्य सहायक कलक्टर सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी) बाप (फलोदी) राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 04 10/05/25 अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 04	